

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-40/2018/एस-2-1557/दस-2018-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 03 जुलाई, 2018

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैंड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष वेतनमान, वेतनबैंड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- (लेविल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्रमांक | अधिकारी का नाम/ पदनाम |
|---------|---|
| 1 | श्री अवनीश चन्द्र द्विवेदी, मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, 30प्र0 लखनऊ। |
| 2 | श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ। |
| 3 | श्रीमती हिमानी चौधरी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग 30प्र0 लखनऊ। |
| 4 | श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर। |
| 5 | श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा। |
| 6 | श्री दीपांकर शुक्ला, मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी। |
| 7 | श्री अश्वनी कुमार सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, 30प्र0 लखनऊ। |

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नहीं होगा। प्रोन्नत अधिकारियों द्वारा स्वतः परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-40/2018/एस-2-1557(1)/दस-2018-33(36)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक/खादी एवं ग्रामोद्योग/औद्योगिक विकास विभाग 30प्र0 शासन।
- 3- परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/झाँसी/लखनऊ/गोण्डा ।
- 5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन/सामूहिक बीमा/एफ0ए0टी0आई, लखनऊ।
- 7- जिलाधिकारी, गोरखपुर/झाँसी/लखनऊ/गोण्डा ।
- 8- उपाध्यक्ष/सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
- 9- प्रबन्ध निदेशक,खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 10- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 11- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, झाँसी/गोण्डा/लखनऊ।
- 12- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), झाँसी/गोण्डा/गोरखपुर।
- 13- संबंधित अधिकारीगण।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।